

मल्लाह समुदाय के धार्मिक विश्वासों एवं सांस्कृतिक प्रथाओं के बदलते स्वरूप का अध्ययन: प्रयागराज जनपद के संदर्भ में

अविनाश गौड़

शोध छात्र (समाजशास्त्र विभाग) , एस . एस. खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज (इलाहाबाद विश्व विद्यालय)

सार

भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जाना जाता है जहाँ जाति ,धर्म ,संप्रदाय ,भाषा तथा क्षेत्रीयता आदि के आधार पर विविधता के होने के उपरान्त भी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता पूर्व की भांति आज बनाये रखे हुए है । प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के मल्लाह समुदाय मे हो रहे सामाजिक परिवर्तन के प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक नियमों ,धार्मिक विश्वासों सांस्कृतिक प्रथाओं और वैवाहिक मान्यताओं मे हो रहे परिवर्तन का समाजशास्त्रीय है । अध्ययन प्रयागराज जनपद के जसरा विकास खंड के कंजासा ग्राम सभा के 80 मल्लाह समुदाय के उत्तरदाताओं से सम्पन्न किया गया है। इसमें वर्णनात्मक शोध प्रारचना का उपयोग करते हुए साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक आकड़ों का संकलन किया गया तथा द्वितीयक आकड़ों के विभिन्न प्रकार के साहित्यों ,सरकारी रिपोर्ट तथा अन्य लिखित साक्ष्यों का अध्ययन किया गया है । अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वैश्वीकरण ,नगरीकरण तथा शिक्षा व रोजगार के नवीन अवसर ने महिलाओं की भूमिका और निर्णय लेने की क्षमता मे बहुत सकारात्मक किए । इसके साथ परिवार में पुरुषों की सत्ता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है

मुख्य शब्द : मल्लाह समुदाय , सामाजिक परिवर्तन , सांस्कृतिक प्रथाएँ , वैश्वीकरण , वैवाहिक मान्यताएँ , धार्मिक विश्वास एवं रीति-रिवाज

प्रस्तावना –

भारत एक ऐसा देश हैं जिसने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण पूरे विश्व में एक अलग सी विशिष्ट पहचान बनाये हुआ है। यह ऐसे विविधताओं वाला देश है , जहाँ प्रत्येक जाति ,धर्म, संप्रदाय तथा समुदाय की स्वयं की प्रथाएँ ,मान्यताएँ ,रीति –रिवाज ,परंपरा और सामाजिक संस्थाए है । मल्लाह समुदाय भी भारत में रह रहे समुदायों में से एक है ,जो नदी आधारित व्यवसायों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है। इनके परंपरागत व्यवसाय में नांव चलाना ,मछली पकड़ना व उसका विक्रय करना तथा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को उतारना आदि नदी से जुड़े हर कार्य सम्मिलित है। मल्लाह समुदाय जिन्हे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है । कहीं इन्हे निषाद ,तो कहीं इन्हे केवट और कहीं –कहीं उन्हे धींवर ,मांझी ,बिन्द आदि अन्य और नाम से संबोधित किया जाता है। ‘नदी (गंगा) से गहरे जुड़ाव के कारण मल्लाह सदैव से स्वयं को गंगा पुत्र या गंगा के मानस पुत्र मानते है, जो नदी के साथ उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लगाव का प्रतीक है (सिंह,1998)।

मल्लाह समुदाय, उत्तर भारत के गंगा-यमुना के मैदानी क्षेत्रों में रह रहे समुदायों में से सबसे पुराना नदी आधारित समुदाय है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पच्छिम बंगाल के राज्यों में रहने वाले मल्लाह अपनी आजीविका के लिए हमेशा से नदियों पर निर्भर रहे हैं। गंगा, यमुना, गंडक समेत समस्त सहायक नदियां उनके आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार होने के साथ-साथ, उनके रीति-रिवाज, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक संरचना को भी एक निश्चित आकार देने का भी कार्य किया है। रीति-रिवाज, प्रथाएँ तथा सामाजिक नियम हर समुदाय की सांस्कृतिक नींव के निर्माण का कार्य करती है और समुदाय की विशिष्ट पहचान को कई पीढ़ियों तक सुरक्षित भी करती है एवं इसके साथ समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे तक हस्तांतरण को निरंतर बनाये रखते हैं। एक तथ्य यह भी है कि परंपराएँ और सामाजिक मान्यताएँ सदैव एक स्वरूप में स्थिर नहीं रहती हैं यह तो समय-समय परिवर्तित होती रहती है। लगभग तीन दशकों में मल्लाह समुदायों में बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए। वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण, नगरीकरण, शिक्षा तथा तकनीकी प्रगति ने उनके जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया है।

एम. एन. श्रीनिवास (1966) के अनुसार 'जाति और समुदाय सामाजिक स्तर पर ऊपर उठने के लिए अपने रीति-रिवाजों और जीवनशैली में बदलाव करते हैं, वहीं दूसरी ओर योगेंद्र सिंह (1973) का तर्क था कि आधुनिकीकरण पारंपरिक संस्थाओं को खत्म करने के बजाय उन्हें बदल देता है। इसी तरह, एंथनी गिडेंस (1990) ने देखा कि वैश्वीकरण और आधुनिकता पारंपरिक मूल्यों को खत्म किए बिना सामाजिक रिश्तों और सांस्कृतिक पहचान को नया रूप देते हैं। ये सभी सैद्धांतिक दृष्टिकोण यह समझने में स्पष्ट करते हैं कि इतना परिवर्तन आने बाद भी मल्लाह समुदाय के कुछ मान्यताएँ और रीति-रिवाज पूर्व के भांति वर्तमान में भी अपने अस्तित्व को बनाये रखा है। शिक्षा, आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास और परिवर्ती होती आर्थिक स्थितियों के प्रभाव से कुछ अंश तक से परिवर्तन आया है। गंगा-यमुना जैसे नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अधिक होने के बाद भी, मल्लाह समुदाय के परिवर्तित होते सामाजिक नियमों और रीति-रिवाजों का समाजशास्त्रीय अध्ययन बहुत ही कम हुआ है। अभी तक के हुए अध्ययन मुख्य रूप से मल्लाह समुदाय की जातिगत पहचान, आजीविका, मछली पालन और राजनीतिक लामबंदी पर केंद्रित रहे हैं, जिस कारण उनके सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक पहलुओं पर अपेक्षाकृत कम ध्यान केंद्रित किया गया है।

साहित्य समीक्षा –

सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अध्ययनकर्ताओं ने अभी तक जितने अध्ययन प्रस्तुत किया है उन सभी ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करने के साथ साथ सामाजिक मूल्यों, नियमों और रीति-रिवाजों को प्रभावित किया है। मजूमदार (1961) के अनुसार 'भारत के सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रजातीय एवं सांस्कृतिक परंपराओं का एक-दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने के फलस्वरूप हुआ है। इसी कारण भारतीय समाज एक ऐसा समाज बन गया है, जो विभिन्न वर्गों में विभाजित होने के उपरान्त भी सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ा हुआ है'। आगे मजूमदार आगे कहते हैं कि जाति कोई वंशानुगत संस्था नहीं है, यह तो एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है, जो व्यवसाय, रीति-रिवाज तथा नातेदारी से आकार लेते हैं। इसलिए व्यवसाय में परिवर्तन उनके जातिगत संरचना में परिवर्तन ला सकता है।

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अंतरसंबंध सदैव जातिगत संरचना और सांस्कृतिक परिवर्तन के मध्य होता है। एम. एन. श्रीनिवास भारत की जाति व्यवस्था के अंदर सांस्कृतिक गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। श्रीनिवास (1966) के अनुसार निम्न स्तर की जातियाँ, अपनी सामाजिक स्थिति को समाज के सबसे शक्तिशाली समूह के भांति उत्कृष्ट बनाने हेतु उनके ही रीति-रिवाज तथा जीवन शैली को अपनाती हैं। सिंह (1973) के अनुसार 'आधुनिकीकरण, सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन के स्थान पर

संरचनात्मक अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। पारंपरिक संस्थाएं पूर्व की भांति बनी रहती हैं, और परिवर्तन के साथ आधुनिक मूल्यों को अपनाती हैं। बोस (1975), का तर्क है कि 'हिन्दू समाज कोई स्थिर नहीं, अपितु गतिशील है तथा जाति संरचना में किसी भी प्रकार परिवर्तन होने के बाद भी यह खुद को सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करती रहती है' गिडेन्स (1990), ने यह तर्क समझ रखा है कि 'वैश्वीकरण भौगोलिक सीमा से परे हो कर सामाजिक समन्वय को और अधिक बढ़ाती है, जिससे स्थानीय समुदाय नवीन विचार, तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभाव के संपर्क में आते हैं। बोरदियू (1986), के अनुसार 'शिक्षा, सांस्कृतिक पूंजी तथा सामाजिक पूंजी सामाजिक गतिशीलता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अतः सामाजिक परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो वो सामाजिक गतिशीलता की परिस्थिति उत्तम करेगा ही।

एलिसन एवं एलिस (2001), ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि 'विकासशील देशों में मछली पकड़ने वाले तथा नांव चलाने वाले छोटे समुदाय, प्राकृतिक संसाधनों की कमी तथा श्रम बाजार के विस्तार के कारण अपने अपने व्यवसायों में विविधता ला रहे हैं, जिसका प्रभाव इनके जीवन शैली पर भी पड़ रहा है। जो इन्हे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जा रही है। डोरेन (2008) के अनुसार 'मल्लाह समुदाय का पहचान नौका चालन, गंगा नदी और घाट से जुड़ी हुई है। जहाँ एक ओर आधुनिकीकरण के कारण नदी आधारित व्यवसायों में कमी आयी है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते नगरीकरण ने उनकी समस्त आर्थिक – सामाजिक गतिविधियों तथा धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज को भी प्रभावित किया है। लेकिन यह समुदाय परंपराओं को छोड़ने के स्थान पर विषम परिस्थितियों में भी स्वयं की सामुदायिक पहचान को बनाये रखा है। इसके साथ राजनीतिक जागरूकता और सामुदायिक संगठन को अधिक मजबूत करते हुए, अपने रीति – रिवाज नए सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। बार्विंक (2015) तर्क है कि 'मछली पकड़ने वाले पारंपरिक समुदाय एक ही समय में आर्थिक असुरक्षा और संस्थागत अनुकूलन का अनुभव करते हैं। बाजार एकीकरण, पर्यावरणीय नियम और तकनीकी बदलाव सामुदायिक संगठन को नया रूप देते हैं, जबकि स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएं सामाजिक एकजुटता बनाए रखती हैं। स्टिग्लिट्ज (2002) ने बताया है कि 'वैश्वीकरण अवसर और असमानता दोनों पैदा करता है। बेहतर तकनीकी, विस्तारित बाजार और शिक्षा के अच्छे विकल्प से सामाजिक और आर्थिक स्थिति से सामान्य सुधार होते तो हैं किन्तु इसके साथ समाज की मुख्य धारा से कटे समुदाय या हाशिए पर रह रहे समुदायों के पारंपरिक व्यवसाय और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों के समाप्त होने का खतरा अधिक रहता है। भारत में समाज की मुख्य धार से कटे हुए जातिगत समुदायों पर अब तक जितने भी अध्ययन हुए हैं उन सभी से यह ज्ञात होता है कि वैश्वीकरण, शिक्षा, लोकतान्त्रिक भागीदारी एवं आधुनिकीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाया है। मल्लाह समुदाय में भी शिक्षा, आजीविका विविधीकरण और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई, किंतु वर्तमान समय में भी उन सभी की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक विश्वास तथा रीति – रिवाज उनके सामुदायिक परंपरा से जुड़ी हुई है। आधुनिकीकरण ने आर्थिक और सामाजिक संरचना को परिवर्तित अवश्य ही किया लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा अपरिवर्तित स्वरूप में विद्यमान है।

उद्देश –

यह अध्ययन, वर्तमान समय के सामाजिक परिवर्तन के दौर में मल्लाह समुदाय के सामाजिक मान्यता, रीति – रिवाज और सामाजिक नियमों में आए परिवर्तन की जांच करने के उद्देश्य से किया गया है – इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं

- आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा, नगरीकरण के कारण समुदाय के सामाजिक नियमों और रीति-रिवाजों में आए परिवर्तन का अध्ययन
- समुदाय में पारिवारिक संरचना, विवाह संबंधित मान्यता, लैंगिक भूमिकाओं और धार्मिक विश्वास और

शोध प्रश्न -

यह अध्ययन भारत के मल्लाह समुदाय के परिवर्तित हो रहे सामाजिक नियमों और रीति-रिवाजों के अध्ययन पर केंद्रित है।

- यह समुदाय वर्तमान समय में अपने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को कैसे बनाए रखता है?
- समय के परिवर्तन के इस समुदाय में धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं ?

अध्ययन का क्षेत्र -

यह अध्ययन आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में मल्लाह समुदाय के धार्मिक मान्यता, जीवन चक्र से जुड़े संस्कार, रीति-रिवाज, लैंगिक संबंध, पारिवारिक संबंधों और विवाह संबंधित जुड़े कर्मकांड तथा सामुदायिक परंपराओं में आए परिवर्तनों की जांच करता है। इसके साथ सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक निरन्तरता दोनों के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को समजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है।

अध्ययन की सीमा-

यह अध्ययन मुख्यतया भारत के उत्तरी भाग में रहने वाले मल्लाह समुदाय विशेष कर उत्तर प्रदेश के मल्लाह समुदाय पर केंद्रित है, इसलिए प्राप्त निष्कर्ष भारत के अन्य भागों में रह रहे मल्लाह समुदाय के लोगों पर समान्यीकृत नहीं किया जा सकता है और न ही उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ सांस्कृतिक रीति-रिवाज और मान्यताएं लगातार गतिशीलता अवस्था में रहते हैं तो इसके परिणाम उपस्थित संदर्भ को प्रदर्शित करते हैं भविष्य में परिस्थितियां परिवर्तित होंगी तो इसमें भी परिवर्तन होंगे।

अध्ययन क्षेत्र और शोध पद्धति -

मल्लाह समुदाय का समस्त आर्थिक जीवन और सामाजिक पहचान उनका पारंपरिक व्यवसाय ही है। इन पारंपरिक व्यवसाय में नौका चालन और मछली पकड़ना तथा नदी आधारित समस्त कार्य सम्मिलित है। प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित जसरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामसभा कंजासा के मल्लाह समुदाय के व्यक्तियों के संदर्भ में है। परिवर्तित होती सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप उनके सामाजिक नियम, परंपरा और मान्यताओं में कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन का कारण बढ़ता हुआ आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण है। अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध प्रारचना का उपयोग किया गया है और समग्र के लिए 80 मल्लाह समुदाय के परिवारों का 'उद्देश्यपूर्ण निदर्शन' पद्धति के द्वारा चयन किया गया है जो इस अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के सूचनादाता की भूमिका वहन करेंगे। प्राथमिक आकड़ों के संग्रहण के लिए साक्षात्कार अनुसूची और असहभागी अवलोकन का उपयोग किया गया है और द्वितीयक आकड़ों के संग्रहण के लिए साहित्यों, लेखों और रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है। संकलित आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीकरण करने के पश्चात प्रतिशत विधि द्वारा विश्लेषण किया जाएगा तथा एक सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

महिलाओं की भूमिका और निर्णय क्षमता

मल्लाह समुदाय से आने वाली महिलाओं की पारंपरिक भूमिका केवल परिवार पालन एवं आजीविका के कार्य में सहयोग तक सीमित रही थी। किन्तु वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा, वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण ने उनकी भूमिका को थोड़ा सा प्रभावित किया। सेन (1999), के अनुसार शिक्षा, आर्थिक अवसर एवं संसाधनों तक सीमित पहुँच ने

महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया है। कबीर (1999) का तर्क है कि “महिलाओं की वास्तविक सशक्तता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और संसाधनों पर नियंत्रण से जुड़ी हुई है। श्रीनिवास (1966), के अनुसार आधुनिकीकरण ही महिलाओं की बदलती सामाजिक भूमिका का महत्वपूर्ण कारक है। किन्तु एक सत्य यह भी है कि समाज में सदैव समस्त अधिकारों, संसाधनों तथा शक्ति का वितरण एक समान रूप से नहीं होता है, जिसके कारण विभिन्न समूह के मध्य संघर्ष होता है। एंगेल्स (1884) के अनुसार ‘पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष आर्थिक संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित कर महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति बनाए रखते हैं।

क्र. सं.		आवृत्ति (जनसंख्या का प्रतिशत)		कुल योग
		हाँ	नहीं	
1	महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है	48 (60%)	32 (40%)	80 (100%)
2	लड़कियों की शिक्षा के प्रति परिवार का दृष्टिकोण बदला है	64 (80%)	16 (20%)	80 (100%)
3	संतानों में लड़का और लड़की होने का भेद भाव है	00(00%)	80 (100%)	80 (100%)

तालिका सं- 1 (स्रोत - क्षेत्र अध्ययन कंजासा उपरहार, ब्लॉक जसरा, प्रयागराज)

क्र. सं.	परिवार में प्रमुख निर्णय कौन लेता है?	आवृत्ति (जनसंख्या का प्रतिशत)
1	पुरुष	37(46.25 %)
2	महिला	24 (30%)
3	दोनों	0 4(5%)
4	बुजुर्ग	15 (18.75 %)
	योग	80 (100%)

तालिका सं- 2 (स्रोत - क्षेत्र अध्ययन कंजासा उपरहार, ब्लॉक जसरा, प्रयागराज)

तालिका सं 1 और तालिका सं 2 मल्लाह समुदाय के महिलाओं की भूमिका और निर्णय लेने की क्षमता संबंधित एवं निर्णय में मुख्य भूमिका के आकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुत आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि मल्लाह समुदाय में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। चयनित उत्तरदाताओं की संख्या का लगभग 60% ने यह माना है कि अब परिवार से संबंधित सभी निर्णय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिलाओं की भूमिका पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हुई है वहीं लड़कियों की शिक्षा के प्रति अब 80% ने अपना दृष्टिकोण परिवर्तित किया इसके साथ 100% उत्तरदाताओं ने यह उत्तर दिया है कि वो अब किसी भी प्रकार का लैंगिक भेद अपने संतानों के मध्य नहीं करते हैं। तालिका सं 2 के आकड़ों के अनुसार परिवार से संबंधित समस्त महत्व निर्णय में पुरुष मुख्य होता है ऐसे उत्तरदाता कुल 47% है

और 30 % ने कहा महिलाओं की भूमिका मुख्य है। परिवार से संबंधित निर्णय वृद्धजनों लेते हैं ऐसे केवल 15 % हैं और सबसे कम महिला और पुरुष का संयुक्त भूमिका लगभग 5 % है।

बदलते सामाजिक नियम

शिक्षा का विस्तार, नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण ने मल्लाह समुदाय के जीवन के समस्त पहलू पर प्रभाव डाला है, जिससे बच्चों की शिक्षा से संबंधित, पारंपरिक व्यवसाय में परिवर्तन, महिलाओं की निर्णय लेने की बढ़ती क्षमता और भागीदारी को और अधिक मजबूत किया है, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तित नहीं किया। इन सभी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि मल्लाह समुदाय के सामाजिक नियम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, अपितु आधुनिकता के साथ समन्वय करके परिवर्तित होने के साथ उन्हें नए सामाजिक संदर्भ के अनुरूप फिर से नए स्वरूप में गठित किया। ऑगबर्न (1922) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम बताते हुए सांस्कृतिक विलंबता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। बोरदियू (1986) के अनुसार शिक्षा, सामाजिक पूँजी और सांस्कृतिक पूँजी सामाजिक व्यवहार तथा जीवनशैली में परिवर्तन लाती हैं। इसी प्रकार योगेन्द्र सिंह (1973) ने भारतीय समाज में आधुनिकीकरण को परंपरा और आधुनिकता के समन्वय की प्रक्रिया माना है।

क्र. सं.	सामाजिक नियम परिवर्तन का प्रमुख कारण है	आवृत्ति (जनसंख्या का प्रतिशत)
2	शिक्षा	15 (18.75%)
3	तकनीकी विकास	14(17.50%)
4	नगरीकरण	14 (17.50%)
5	रोजगार के नवीन साधन	21 (26.25%)
6	वैश्वीकरण	07(8.75%)
7	अन्य	09(11.25%)
	कुल योग	80 (100%)

तालिका सं- 3 (स्रोत - क्षेत्र अध्ययन कंजासा उपरहार, ब्लॉक जसरा, प्रयागराज)

तालिका सं 3 मल्लाह समुदाय के परिवर्तित होते सामाजिक नियम के परिवर्तन के मुख्य कारण का प्रस्तुतिकरण है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सामाजिक नियम के परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण होने का प्रस्तुत आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि मल्लाह समुदाय में सामाजिक नियमों के परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण रोजगार के नवीन साधन है, जो लगभग 26.25% मानते हैं। इसके पश्चात शिक्षा (18.75%), तकनीकी विकास (17.50%) तथा नगरीकरण (17.50%) को भी महत्वपूर्ण कारण माना है। जो यह प्रदर्शित करता है कि समुदाय का शिक्षा की तरफ बढ़ती पहुँच, पारंपरिक व्यवसाय के स्थान पर नवीन व्यवसाय ने सामाजिक नियमों के परिवर्तन को अधिक गति दी है। इसके साथ वैश्वीकरण (8.75%) और अन्य कारण (11.25%) का प्रभाव उतना अधिक नहीं जितना अन्य कारणों का है।

बदलते वैवाहिक मान्यता और नियम-

सिंह (1973), के अनुसार आधुनिकीकरण भारत के सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं को पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं करते हैं बल्कि उन्हें नए तरह से नए सामाजिक संदर्भों के अनुरूप उन्हें पुनर्गठित किया है। कुछ इसी प्रकार का बेते (1974), का तर्क है कि शिक्षा, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के कारण पारिवारिक संरचना और

वैवाहिक संबंधित समस्त मान्यताओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसके साथ कर्वे (1965), के अनुसार 'भारत की विवाह व्यवस्था को जाति, नातेदारी और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से संचालित होने वाली संस्था माना है। शाह (1998), ने भी यह स्पष्ट किया है, 'शिक्षा, नगरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन के कारण भारतीय परिवार एवं विवाह संबंधी मान्यताओं में क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं'।

क्र. सं.		आवृत्ति (जनसंख्या का प्रतिशत)		कुल योग
		हाँ	नहीं	
3	अंतर्जातीय विवाह स्वीकार्य है?	24 (30%)	56 (70%)	80 (100%)
4	विवाह की आयु पहले की तुलना में बढ़ी है	72 (90%)	08 (10%)	80 (100%)
6	क्या आपके परिवार में विवाह संबंधित निषेध (समान गोत्र एवं सप्रवर, सपिंड) का पालन होता है-	64(80%)	16(20%)	80 (100%)
8	क्या आप दहेज लेने और दहेज देने की प्रथा को समाज के लिए सही मानते हैं -	4(5%)	76(95%)	80 (100%)

तालिका सं- 4 (स्रोत - क्षेत्र अध्ययन कंजासा उपरहार, ब्लॉक जसरा, प्रयागराज)

तालिका सं 4 मल्लाह समुदाय की वैवाहिक प्रतिमानों में होते परिवर्तनों का प्रस्तुतीकरण है। प्राप्त आकड़ों के अनुसार 70% उत्तरदाता ने माना है कि आज उनके परिवार में अंतर्जातीय विवाह स्वीकार्य नहीं है। 72 % ने या बताया कि उनके परिवारों में अब विवाह की आयु पूर्व की तुलना में बढ़ी है, वहीं 64 % ने माना है कि उनके परिवार में आज भी विवाह संबंधित निषेध (समान गोत्र एवं सप्रवर, सपिंड) का पालन होता है। सबसे ज्यादा 95 % लोगों का कहना है कि दहेज लेने और दहेज देने की प्रथा को समाज के लिए उचित नहीं है।

धार्मिक विश्वास और रीति- रिवाज -

मल्लाह समुदाय के धार्मिक विश्वास नदी, जल एवं स्थानीय देवी देवता और पारंपरिक संस्कारों से जुड़े हुए है। लेकिन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सरकारी नीतियों और आर्थिक परिस्थितियों ने धार्मिक कर्मकांड की प्रकृति में और सामाजिक महत्व में परिवर्तन ले आया है। अनेक ऐसे रीति-रिवाज और अनुष्ठान या तो बंद हो गए या तो उनका स्वरूप बदल गया है, फिर भी समुदाय की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान अभी भी बनी हुई है। गीटर्ज (1973), के अनुसार धार्मिक विश्वास एवं रीति-रिवाज केवल आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं हैं अपितु वे सांस्कृतिक अर्थों और सामाजिक पहचान का निर्माण करते हैं। टर्नर (1969) का तर्क है कि धार्मिक अनुष्ठान मात्र केवल आस्था की अभिव्यक्ति नहीं हैं, इसके साथ ही वे सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक पहचान एवं सामुदायिक एकता, को सुदृढ़ करते हैं। वहीं मैक्स वेबर

(1922) के अनुसार 'सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साथ धार्मिक व्यवहार भी नए संदर्भों के अनुसार परिवर्तित होता है।

क्र. सं.		आवृत्ति (जनसंख्या का प्रतिशत)		कुल योग
		हाँ	नहीं	
1	लोकविश्वास, टोटके या पारंपरिक धार्मिक मान्यताएँ प्रचलित हैं	24 (30%)	56 (70%)	80 (100%)
2	क्या आप आज भी बलि प्रथा का पालन करते हैं –	04(05%)	76(95%)	80 (100%)
3	नई पीढ़ी धार्मिक कर्मकांडों और रीति-रिवाजों में रुचि लेती है	71(88.75%)	09(11.25%)	80 (100%)

तालिका सं-5 (स्रोत - क्षेत्र अध्ययन कंजासा उपरहार, ब्लॉक जसरा, प्रयागराज)

तालिका सं-5 मल्लाह समुदाय के धार्मिक विश्वास एवं रीति-रिवाजों में परिवर्तन से संबंधित आकड़ों का प्रस्तुतीकरण है। क्षेत्र कार्य के दौरान उत्तरदाताओं से जो आकड़ें प्राप्त हुए उसके अनुसार 70 % उत्तरदाता लोकविश्वास, टोटके या पारंपरिक धार्मिक मान्यताएँ अब वर्तमान समय में प्रचलन में नहीं है और लगभग 95% ने यह उत्तर दिया कि अब वे सभी बलि प्रथा का पालन नहीं करते। अंतिम में 88% उत्तरदाताओं ने यह माना है कि नई पीढ़ी धार्मिक कर्म कांडों में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं ले रही है।

आकड़ों का विश्लेषण और परिणाम

प्रस्तुत किया गया अध्ययन प्रयागराज जनपद के विकास खंड जसरा के अंतर्गत आने वाले कंजासा ग्राम सभा के मल्लाह समुदाय का है। विकास खंड जसरा का यह गाँव मल्लाह बाहुल्य क्षेत्र है इसीलिए अध्ययनकर्ता ने अपने शोध कार्य के लिए इस क्षेत्र उचित समझा। इस अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि परिवर्तित होती आर्थिक परिस्थितियाँ, शिक्षा का विकास, तकनीकी विकास, नगरीकरण व वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने मल्लाह समुदाय के सामाजिक नियमों, धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक रीति-रिवाजों को किस सीमा तक प्रभावित किया। क्षेत्र कार्य के दौरान प्राप्त आकड़ों के अनुसार मल्लाह समुदाय से आने वाली महिलाओं की सामाजिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत सही हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चयनित 80 उत्तरदाताओं में से अधिकतर उत्तरदाताओं (60 %) ने यह माना है कि महिलाओं की समस्त पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और 80 % उत्तरदाताओं इस बात का समर्थन किया कि वे सभी वर्तमान समय में अपनी संतानों के मध्य लड़के एवं लड़कियों से शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार का भेद भाव नहीं करते। समस्त घरेलू मामलों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार घर पुरुषों का है ऐसा 47 % ने माना वहीं दूसरी तरफ केवल 30% महिलाये परिवार के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार रखती है। इस सभी आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि अपने परिवार में महिलाओं की सहभागिता तो पूर्व की अपेक्षा बढ़ी तो है लेकिन

,परिवार से जुड़े समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति परिवार के पुरुषों में अंतर्निहित है। समुदायगत परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मल्लाह समुदाय में महिलाओं की शिक्षा और समानता में कभी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं किन्तु, जहां निर्णय लेने की क्षमता की बात हो वहाँ अभी भी निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति पुरुषों के पास है। आगे सामाजिक नियमों के परिवर्तन के कारण खोजने के लिए आकड़ों का संग्रहण किया गया तो जो तथ्य प्राप्त हुए, उनके अनुसार सामाजिक नियमों में परिवर्तन का मुख्य कारक परिवर्तित होते परंपरागत रोजगार के साधन हैं जिसको 26.25 % उत्तरदाताओं ने बताया, वहीं शिक्षा को 18.75%, तकनीकी विकास को 17.50% तथा नगरीकरण को 17.50% को भी महत्वपूर्ण कारण माना है। समस्त आकड़ें यह प्रदर्शित करते हैं कि समुदाय के शिक्षा के तरफ बढ़ती पहुँच, पारंपरिक व्यवसाय के स्थान पर नवीन व्यवसाय ने सामाजिक नियमों के परिवर्तन को अधिक गति दी है। इसके साथ वैश्वीकरण (8.75%) और अन्य कारण (11.25%) का प्रभाव उतना अधिक नहीं जितना दूसरे कारणों का है। सबसे ज्यादा परिवर्तन मल्लाह समुदाय के वैवाहिक मान्यताओं देखने को मिलता है। मल्लाह समुदाय में विवाह से संबंधित आयु और दहेज की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। आयु की बात करें तो अब 90 % ने यह बताया कि वो अब अपने घर पर संतानों का विवाह 18 वर्ष के बाद ही कर रहे हैं और 95% ने यह बताया कि दहेज प्रथा समाज के लिए अनुचित है। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच ने बहुत सारे पुराने वैवाहिक मान्यताओं को नकार दिया है और उन्हें कुछ सीमा तक परिवर्तित भी कर दिया है, किन्तु इसके साथ कुछ ऐसे मान्यताएं एवं परम्पराएँ ऐसी भी हैं जिन्हें अभी तक परिवर्तित ही नहीं किया गया है और वह अपनी प्रारम्भिक अवस्था में बनी हुयी है। अपनी जाति से बाहर निकाल अन्य जातियों में विवाह करना आज भी मल्लाह समुदाय में किसी भी प्रकार न तो वैध है और ना ही व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत है। क्षेत्र कार्य के माध्यम से संग्रहीत आकड़ों के अनुसार चयनित उत्तरदाताओं में से 70 प्रतिशत का यह मानना है अन्तर्जातीय विवाह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है माना है और लगभग 80% उत्तरदाताओं ने सर्पिंड और एक समान गोत्र में विवाह करना वैवाहिक निषेध मानकर और उसका पालन कर रहे हैं। शिक्षा के विस्तार और आधुनिकीकरण ने मल्लाह समुदाय के उन धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान को करना बंद कर दिया जो ना तो सामाजिक हित में था और ना ही समुदाय को संगठित करने में योगदान देते थे। इसी क्रम में समुदाय के धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाजों से संबंधित आकड़ें एकत्रित किए गए तो 70 % उत्तरदाताओं का तर्क था कि किसी भी प्रकार के टोने और टोटके तथा लोकविश्वास का प्रभाव अब कम है। 95% उत्तरदाताओं का यह उत्तर दिया कि बलि प्रथा का पालन अब नहीं करते वहीं 88.75 उत्तरदाताओं ने यह भी उत्तर दिया कि वर्तमान समय की पीढ़ी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं।

निष्कर्ष

प्राप्त आकड़ों के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष सामने निकाल कर यह आता है कि मल्लाह समुदाय के सामाजिक नियमों, धार्मिक विश्वास पारिवारिक संबंधों, विवाह व्यवस्था तथा रीति-रिवाजों पर शिक्षा और आधुनिकीकरण, नगरीकरण का बहुत प्रभाव पड़ा है। इस सभी के होने के उपरंत भी यह समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और मूलभूत परंपरा को नहीं छोड़ा है। महिलाओं की परिवार में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई और बालिकाओं की शिक्षा के लिए अब दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ है, लेकिन विवाह संबंधित कुछ ऐसी मान्यताएं और निषेध हैं जिनका पालन आज भी कर रहे हैं। इन निषेधों में सबसे प्रमुख अंतर्जातीय विवाह की स्वीकृति तथा समान गोत्र और सर्पिंड विवाह सम्मिलित है। इन वैवाहिक निषेधों का पालन करना यह प्रदर्शित करता है कि सामाजिक परिवर्तन अभी भी अपूर्ण है। धार्मिक क्षेत्र में भी समुदाय आधुनिक विचारों को अपनाने के साथ-साथ अपनी पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को बनाए हुए है। अतः यह अध्ययन स्थापित करता है कि मल्लाह समुदाय में परिवर्तन परंपरा के

विघटन का नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के समन्वय का परिणाम है। समुदाय आधुनिक सामाजिक एवं आर्थिक अवसरों को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है।

संदर्भ सूची

1. अम्बेडकर, बी. आर. (1936). *जाति का विनाश (एनाइलेशन ऑफ कास्ट)*. नवयाना
2. एंगेल्स, एफ. (1972). *परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति* (मूल कृति 1884 में प्रकाशित). प्रोग्रेस पब्लिशर्स
3. ऑगबर्न, डब्ल्यू. एफ. (1922). *सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर*. बी. डब्ल्यू. ह्यूब्स
4. एलिस, एफ. (2000). *रूरल लाइवलीहुड्स एंड डाइवर्सिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज़*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
5. एलिसन, ई. एच., एवं एलिस, एफ. (2001). *द लाइवलीहुड्स अप्रोच एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल-स्केल फिशरीज. मरीन पॉलिसी*, 25(5), 377–388
6. उबेरोई, पी. (2006). *फ्रीडम एंड डेस्टिनी: जेंडर, फैमिली एंड पॉपुलर कल्चर इन इंडिया*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
7. कबीर, एन. (1999). *रिसोर्सेज, एजेंसी, अचीवमेंट्स: रिफ्लेक्शन्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट. डेवलपमेंट एंड चेंज*, 30(3), 435–464
8. कर्वे, इ. (1965). *किनशिप ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया*. एशिया पब्लिशिंग हाउस
9. गीर्ज़, सी. (1973). *द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स*. बेसिक बुक्स
10. गिडेन्स, ए. (1990). *द कॉन्सीक्रेन्सेज ऑफ मॉडर्निटी*. पॉलिटी प्रेस
11. जनगणना भारत. (2011). *प्राथमिक जनगणना सार*. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय
12. डेसाई, ए. आर. (2005). *रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया*. पॉपुलर प्रकाशन
13. डर्क्स, एन. बी. (2001). *कास्ट्स ऑफ माइंड: कॉलोनीयलिज़्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया*. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस
14. डोरॉन, ए. (2010). *कास्ट, ऑक्युपेशन एंड पॉलिटिक्स ऑन द गंगा: पैसेज ऑफ रेजिस्टेंस*. पालग्रेव मैकमिलन
15. जूमों, एल. (1970). *होमो हायरार्किकस: द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन्स*. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस
16. दुबे, एस. सी. (1967). *इंडियन विलेज*. रूटलेज
17. दुर्बीम, ई. (1995). *द एलीमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ*. फ्री प्रेस
18. टर्नर, बी. (1969). *द रिचुअल प्रोसेस: स्ट्रक्चर एंड एंटी-स्ट्रक्चर*. एल्डाइन पब्लिशिंग
19. बेतेइये, ए. (1974). *स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
20. बार्बिक, एम. (2015). *फिशरीज ऐज़ सोशल डोमेन्स. मेरिटाइम स्टडीज़*, 14(1), 1–15
21. बोरदियू, पी. (1986). *द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल*. जे. जी. रिचर्डसन (सम्पा.), *हैंडबुक ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च फॉर द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन* (पृ. 241–258). ग्रीनवुड प्रेस
22. बोस, एन. के. (1975). *द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसायटी*. ओरिएंट लॉन्गमैन
23. मजूमदार, डी. एन. (1961). *रेसेज़ एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया*. एशिया पब्लिशिंग हाउस
24. मालिनोव्स्की, बी. (1948). *मैजिक, साइंस एंड रिलिजन एंड अदर एसेज़*. बीकन प्रेस
25. मार्क्स, के., एवं एंगेल्स, एफ. (1970). *द जर्मन आइडियोलॉजी*. लॉरेंस एंड विशार्ट
26. रेडफील्ड, आर. (1956). *पीज़ेंट सोसायटी एंड कल्चर*. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस
27. साहलिन्स, एम. (1972). *स्टोन एज इकोनॉमिक्स*. एल्डाइन पब्लिशिंग

28. सेन, ए. (1999). *डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
29. शाह, ए. एम. (1998). *द फैमिली इन इंडिया: क्रिटिकल एसेज़*. ओरिएंट लॉन्गमैन
30. सिंह, के. एस. (1998). *पीपुल ऑफ इंडिया: उत्तर प्रदेश* (खंड 42). एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
31. सिंह, योगेन्द्र. (1973). *मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन*. थॉमसन प्रेस
32. श्रीनिवास, एम. एन. (1962). *कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज़*. एशिया पब्लिशिंग हाउस
33. श्रीनिवास, एम. एन. (1966). *सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया*. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस
34. स्टिग्लिट्ज़, जे. ई. (2002). *ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेन्ट्स*. डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी
35. वेबर, एम. (1978). *इकोनॉमी एंड सोसायटी*. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस
36. विश्व बैंक. (2023). *वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023: माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज़ एंड सोसाइटीज़*. विश्व बैंक
37. जमाल, एस. (2026). *द रिवर ऑफ लाइफ, डेथ, लाइवलीहुड एंड पिलग्रिमेज: एन असेसमेंट ऑफ द गंगा इन वाराणसी सिटी, उत्तर प्रदेश (इंडिया)*. *इंडियालॉग्स*, 13(1).
38. चतुर्वेदी, एस. (2026). *मंदिर वर्सेस मंडल इन 2024: आर देयर लिमिट्स टू द बीजेपीज़ सोशल इंजीनियरिंग? कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया*.
39. डोरॉन, ए. (2009). *कास्ट अवे? सबाल्टर्न एंगेजमेंट विद द मॉडर्न इंडियन स्टेट*. *मॉडर्न एशियन स्टडीज़*, 44(4), 753–783.
40. नारायण, बी. (2009). *फैसिनेटिंग हिंदुत्व: सैफ़न पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन*. सेज पब्लिकेशन्स इंडिया
41. सान्याल, पी., राव, वी., एवं मजूमदार, एस. (2015). *रीकास्टिंग कल्चर टू अनडू जेंडर: ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ जीविका इन रूरल बिहार, इंडिया*. *वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर्स* (7411)